

## प्रेस नोट

### थाना चिरगाँव, जनपद झाँसी

दिनांक 09.02.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही
- अवैध खनन के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार,
- गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में को 1- मु0अ0सं0 13/26 धारा 191 (2)/191(3)/105/238/127(2) बीएनएस 2- मु0अ0सं0 17/26 धारा 303(2) बीएनएस व 3 (1)/58/72 (1) उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 व धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवरण अधिनियम 1984 में वांछित अभियुक्त हेमन्त जादौन उर्फ किटोले पुत्र स्व0 जगदीश जादौन निवासी ग्राम पारीछा, थाना बड़ागाँव, जिला झाँसी उम्र करीब 43 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर महेबा कट से पहले महेबा कबूतरा डेरा को जाने वाली रोड पर महेबा डेरा से दिनांक 08.02.2026 को गिरफ्तार करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया।

#### अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 13/26 धारा 191 (2) /191(3)/105/238/127(2) बीएनएस

2-मु0अ0सं0 17/26 धारा 303(2) बीएनएस व 3(1)/58/72(1) उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 व धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवरण अधिनियम 1984

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता- हेमन्त जादौन उर्फ किटोले पुत्र स्व0 जगदीश जादौन निवासी ग्राम पारीछा, थाना बड़ागाँव, जिला झाँसी उम्र करीब 43 वर्ष

#### गिरफ्तार करने वाली थाना पुलिस टीम -

1. उ0नि0 मुनीन्द्र मिश्र
2. उ0नि0 रामप्रकाश पटेल
3. हे0का0 375 राजीव कुमार
4. का0 444 ओमवीर सिंह